| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। सीधी बहस प्रा० पत्र 212 RT Act सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र दिनांक 17/01/2025 को पेश हो। अप्रार्थी 3 व 4 का पक्षकार बंद किया गया।<br>[signature]<br>[signature]<br>18/12/2024 | [signature] |
| 17/01/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। धारा-212 RT Act r.w. O. 39 R 1 & 2 CPC के प्रा०पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :-<br>(अ) प्रकरण प्रथम द्रष्टया :- आर्जी० प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रा० पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख० नं० 1942 रकबा 1.3405 hac प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम रायपुर की आराजी ख० नं० 1865, 1866 व 1877/1, कुल किता 3 कुल रकबा 3.7939 hac प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजियां प्रार्थी क्रम 1 रामप्रसाद, प्रार्थी क्रम 2 से 5 के पिता/पति देवीलाल एवं अप्रार्थी क्रम 1 रमेश पुत्रान सीतारामं कुम्मी की पैतृक आराजी है जिसका पिता सीताराम के जीवनकाल में ही पारिवारिक [illegible] गया था और पारिवारिक बंटवारा अनुसार [illegible] 1942 रकबा 1.3405 hac पर [illegible] चला आ रहा है जबकि ख० नं० 1[illegible], 1866 व 1877/1, किता 3 पर अप्रार्थी क्रम 1 का काबिज काश्त | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ताली[illegible] में जारी हुए |
|---|---|---|
| | चला आ रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 अनेको बर्षो से इसी family settlement के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से काबिजकाश्त चले आ रहे है। ख० न० 1942 पर अप्रार्थी क्रम 2 का कभी भी कोई भौतिक कब्जा नही रहा है। अतः प्रकरण प्रथम हस्तया प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रा० अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध कर कथन किया कि ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 की पैतृक संपत्ति नहीं होकर स्व-अर्जित संपत्ति है जो तीनो भाईयो - देवीलाल, रामप्रसाद व रमेश ने जरिये रजि० विक्रय पत्र क्रय की थी जो नामा० स० 413, 473 व 474 से प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 के खाते दर्ज हुई है तभी से तीनो भाई 1/3-1/3 भाग पर काबिजकाश्त चले आ रहे है। ख० न० 1942 के 1/3 भाग पर अप्रार्थी 1 का कब्जा काश्त है। प्रार्थी क्रम 1 ने बिना खाता विभाजन कराये ख० न० 1942 में से भूमि का बेचान अप्रार्थी क्रम 2 व अन्य व्यक्ति असलम खान को कर दिया है और अप्रार्थी 1 को पाबंद करना चाहते है। अतः शामलाती एवं स्व आर्जित भूमि होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी 1 के पक्ष में है। अप्रा० अप्रार्थी क्रम 2 ने जवाब नहीं पेश कर सीधी बहस की और कथन किया कि अप्रार्थी 2 [illegible] रिकार्डेड सहखातेदार है। Recor[illegible] के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। उभय पक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
| --- | --- | --- |

किया गया। ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2073-76 के अनुसार ख०नं० 1942 रकबा 1.3405 hec शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें प्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 7/48, प्रार्थी क्रम 2 से 5 का हिस्सा 1/3 अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 3/16 दर्ज है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा पेश ग्राम रायपुर के नामा० नं० 413, 473 व 474 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख० नं० 1865, 1866, 1877/1, व 1942 डेवीलाल, रमेश, रामप्रसाद पुत्रान सीताराम कुल्मी द्वारा जरिये रजि० विक्रय पत्र खरीद (1/3-1/3 भाग) की गई थी अर्थात प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 की पैतृक आराजी नहीं होकर स्वअर्जित (self-acquired land) आराजी है जिस पर तीनों का बराबर हक-माधिकार था। रामप्रसाद अप्रार्थी 1 ने बिना खाता विभाजन ख० नं० 1942 में से 3/16 भाग (अपने 1/3 भाग का 9/16 यानी 3/16) भूमि का बेचान अप्रार्थी क्रम 2 व असलम खान को जरिये रजि० विक्रय पत्र दिनांक 14/10/2021 को किया था जो जरिये नामा नं० 3778 व 3885 सहखातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गये है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि के family settlement [illegible] ख० नं० 1942 रकबा [illegible] (1.3405?) hec प्राप्त होने का कोई Documentary or oral evidence पेश नहीं किया है। नामा० नं० 413, 473 व 474 के अनुसार तीनों भाईयों ने शामलाती

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जा[री हुए] |
| --- | --- | --- |
| | 1/3 - 1/3 भाग क्रय किया था और आज भी रिकार्ड में शामलाती दर्ज है। सहखाते की आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर एक समान हक व अधिकार निहित होते हैं। पृथक-पृथक कब्जे का कोई साक्ष्य पेश नहीं है। रजि० विक्रय पत्र दिनांक 14/10/21 में प्रार्थी क्रम 1 ने 1/3 भाग का हिस्सा होना अंकित किया है, ना कि सम्पूर्ण ख० न० 1942 पर कब्जे का अंकन है। शामलाती भूमि में एक सहखातेदार के विरुद्ध दूसरे सहखातेदार के पक्ष में stay order जारी करना उचित नहीं होगा। अप्रार्थी क्रम 2 भी हिस्सा 3/16 का recorded co-tenant है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पक्ष में साबित है।<br><br>(ब) सुविधा का सन्तुलन :- प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण क्रम 1 के पक्ष में साबित है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 1 जिसका ख०न० 1942 पर कोई भौतिक कब्जा नहीं होने पर भी अपना हिस्सा बैचान करने की धमकी दे रहा है जबकि अप्रार्थी क्रम 1 का कथन है कि ख०न० 1942 में अप्रार्थी ने रजिस्ट्री से 1/3 भाग कर कब्जा प्राप्त किया था और वर्तमान [illegible] पर कब्जा काश्त हो प्रार्थी [illegible] 1 ही शामलाती भूमि [illegible] 3/16 [illegible] बैनाम अप्रार्थी क्रम 2 [illegible] को किया जा चुका है। किसी भी पक्षकार ने वर्तमान कब्जेकाश्त का कोई भी | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| | evidence पेश नहीं किया है। कोई भी खसरा गिरदावरी रिपोर्ट, मौका कमिश्नर रिपोर्ट या पड़ौसी काश्तकारों के शपथ पत्र / बयान, मौके के प्रमाणित फोटोग्राफ्स आदि भी पेश नहीं है। जब प्रार्थी क्रम 1 शामलात आराजी ख० नं० 1942 में अपने हिस्से में से कुछ भूमि बिना ~~खाता~~ विभाजन अजनबी क्रेता को बेचान कर सकते हैं, तो फिर अप्रार्थी 1 के हिस्से पर बेचान पर रोक क्यों? प्रार्थी 1 को तुलनात्मक अधिक असुविधा होना साबित नहीं है। अतः प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। | |
| | (स) अपूरणीय क्षति :- प्रकरण में कोई भी पक्षकार अपने रिकॉर्ड हिस्से से अधिक का बेचान या विधि विरुद्ध बेचान करने का कथन नहीं कर रहा है। अतः अपूरणीय क्षति होना साबित नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रा० पत्र में अनुतोष में एक अनुतोष रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का है जबकि अप्रार्थी क्रम 1 ने भी अपने प्रति-प्रार्थना पत्र में एक अनुतोष रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का है। दोनों पक्ष यथास्थिति बनाने पर सहमत हैं। | |
| | उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार प्रार्थीगण का प्रा० पत्र एवं अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रति-प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को इस आशय की ~~अस्थायी~~ [illegible] अस्थायी [illegible] से पाबंद किया जाता है कि वे [illegible] की वादग्रस्त आराजी ख० नं० 1865, 1866, 1877/1 व 1942 के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। कोई भी अंतरण नहीं करें। पत्रावली पेश आय शुमार | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म में |
|---|---|---|
| न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ | होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner